न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— मुहम्मद जुनैद पीपी, आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 48/19

1. मांगी लाल पुत्र श्योकरण जाति विश्नोई निवासी 33 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर —प्रार्थी

बनाम

1. चन्दोदेवी पत्नी श्री जसुराम जाति विश्नोई निवासी 33 एन पी तहसील रायसिहंनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. खेमाराम पुत्र श्री जसुराम जाति विश्नोई निवासी 33 एन पी तहसील रायसिहंनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. नत्थुराम पुत्र श्री जसुराम जाति विश्नोई निवासी 33 एन पी तहसील रायसिहंनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. रामकुमार पुत्र श्री जसुराम जाति विश्नोई निवासी 33 एन पी तहसील रायसिहंनगर जिला श्रीगंगानगर। —अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधि.

उपस्थितिः—

1. श्री परविन्द्र विश्नोई, वकील प्रार्थी
2. श्री अनिल बिश्नोई, वकील अप्रार्थीगण

दिनांकः—18.02.2020

—:निर्णयः—

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना—पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी के पड़दादा जीयाराम के तीन पुत्र थे जो क्रमशः रामलाल, जसुराम व सहीराम है तथा अप्रार्थीगण जसुराम के विधिक प्रतिनिधि है। प्रार्थी सहीराम पुत्र श्योकरण का इकलौता पुत्र मांगीलाल है। जो कि संयुक्त परिवार की सम्पति काफी अरसा पूर्व पारिवारिक विभाजन हो चुका है तथा उसी अनुसार से क्रमशः रामलाल ,जसुराम व सहीराम के वारिसान कब्जा काश्त है। जो पिछले 50 वर्षो से उसी अनुसार कब्जा काश्त में चली आ रही है। चक 33 एन पी का मु.नं. 40पुराना 39 नया पं.नं. 193/332 का कि. नं. 5 ता 25 में दो दो बिस्वा सड़क आम है उक्त मुरब्बाजात में रामलाल पुत्र जीयाराम निवासी 33 एन पी द्वारा दिनांक 20.4.1982 को उक्त मु.न.में अपना 1/3 हिस्सा जो कि. न. 1 ता 4 सालम ,5/में 18बीस्वा , 6में 18 बीस्वा ,7 ता 10 सालम सालम व कि.न.11 में 11 बीस्वा भूमि को जरिये बैयनामा प्यारासिहं पुत्र गजनसिहं जाति जटसिख निवासी 25 एन पी को बेचान की थी; क्योकि समस्त संयुक्त परिवार की सम्पति में कुल 31 बीधा रामलाल पुत्र जीयाराम को हिस्सा में आ रही थी। चूँकि प्रार्थी द्वारा प्यारासिहं पुत्र गजनसिहं को चक 33 एन पी के मु.न. 42 व 43 में 10.10बीस्वा भूमि जरिये बैयनामा दी थी। तथा प्यारासिहं से उक्त मु.न. 40 प.न.193/332 के 10.10बीस्वा भूमि जरिये बैयनामा प्राप्त करनी थी , परन्तु तथाकथित समय में भूलवश प्यारासिहं द्वारा उक्त मुरब्बा में मात्र 2.480है0 भूमि का बैयनामा ही मुझे प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 19.12.96 को पंजीबद्व करवाया इस प्रकार 11 बीस्वा भूमि का बैयनामा भूलवंश पंजीबद्व नहीं हो सका , जिसका ज्ञान अनपढ़ता के कारण ना तो प्रार्थी को हो सका ओर ना ही अप्रार्थी सं. 5 को हो सका।संयक्त परिवार की सम्पति में अप्रार्थी सं. 1 ता 4 पति/पिता जसुराम को उक्त मुरब्बा 39 प.न. 193/332 के कि.न. 11 में .114है0 , 12 सालम, 13 सालम, 14 सालम , 15मे .228 , 16में .228 ,17 ता 23 सालम हिस्सा में आई थी तथा उक्त मुरब्ब के कि.न. 24 जो कि पूर्व में रामलाल के नाम था, परन्तु बाद में उक्त किला तीनों भाईयो के हिस्सानुसार उक्त मुरब्बा न. 39 के कि.न. 24 प्रार्थी के हिस्सा में आना था तथा कि.न. 24—25 आज से 40—50 वर्षो से प्रार्थी का ही परिवार काश्त कर रहा है तथा इसका

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

कारण यह था कि रामलाल, जसुराम व सहीराम तीनो भाईयो को मु.न. 39 में विभाजन के बाद 21 बीस्वा भूमि शेष रह गई है,जिसमें प्रत्येक को 7–7बीस्वा भूमि हिस्सा में आनी थी, चूँकि जसुराम को मात्र 7 बीस्वा ही भूमि राजस्व रिकार्ड में अपने नाम अंकरन करवाना था परन्तु जसुराम द्वारा अपनी जान पहचान व चालाकी से शेष 14बीस्वा भूमि भी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा लिया , इसके अतिरिक्त आप्रार्थी सं. 1ता 4 द्वारा अप्रार्थी सं. 5 की कि.न. 11 में शेष 11बीस्वा भूमि को भी गल्त रूप से राजस्व रिकार्ड में अपने नाम अंकन करवा लिया। जबकि कि.न. 11 के 11 बीस्वा भूमि प्रार्थी का हिस्सा था को अप्रार्थी के कब्जा में होने के कारण उक्त मुरब्ब के कि.न. 24 को पूर्णतया काश्त कर रहा है। उक्त मुरब्बाजात में हुई गल्ती राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने अप्रार्थीगण को कहॉ तो शीध्र सही करवाने का आश्वासन देते रहे तथा दिनांक 31.5.2019 को प्रार्थी के कब्जा काश्त भूमि मु.न. 39 के कि.न. 24 में जबरने कब्जे का प्रयास किया यही वाद कारण है। अतः अप्रार्थी सं. 1 ता 5 अगर उक्त भूमि को संयुक्त खाता में बेचान कर देते है ओर प्रार्थी के कब्जा काश्त को प्रभावित करते है तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा व उक्त भूमि संयुक्त खाता की भूमि है, व उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त में है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक पारित की जावे कि विवादित भूमि चक 33 एन पी के मु.न. 39 के कि.न. 24 के 14 बीस्वा, 11 में 11 बीस्वा भूमि प्रार्थी मांगीलाल को खातेदार घोषित किया जावे तथा मु.न. 39 के कि.न. 24 प्रार्थी के कब्जा काश्त में अप्रार्थीगण बेजा मदाखलत करने से बाज व ममने रहे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री अनिल बिश्नोई अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में दिये गये तथ्यों को अस्वीकार करते हुए तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को विरोध प्रकट करते हुये अपने अतिरिक्त आपतियां में अंकन किया कि मु.न. 39 पहले भी मु.न. 39 ही था ओर अब भी 39 ही है। मु.न. 39 परिवर्तित होकर मु.न. 40 होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थी ने वाद के साथ पेश नहीं की है , इसलिए वाद प्रार्थी काबिल निरस्ती के होने से प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया नाकाबिल चलने के है। वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 31.5.3029 को भू–अभिलेख निरीक्षक व राजस्व पटवारी ने प्रार्थी अप्रार्थीगण आदि की मौजूदगी में मुरब्बाजात नं. 39–46–47 की पैमाईश कर निशानदेही देने से प्रार्थी बेहद नाराज हुआ , इसी नाराजगी व रंजिशवश उसने मिन अप्रार्थीगण को नाहक हेरान–परेशान कर बेजा नुकसान पहुॅचाने के आश्य से यह प्रकरण साक्ष्यहीन व झूठे आधारो पर पेश किया हैं वास्तव में प्रार्थी को विवादित रकबा पर किसी प्रकार के ना तो कोई हक वा अधिकार हासिल है ना ही काबिज है। प्रार्थी सद्भावी नहीं है ना ही प्रार्थी को बिनाये वाद व बिनाये मुखास्मत हासिल है, इसलिए वाद प्रार्थी नाकाबिल चलने के होने से प्रार्थना –पत्र प्रथम दृष्टया ही काबिल निरस्ती के है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी से विशेष हर्जाना पाने के अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जाकर खर्जा जबावदेही वा विशेष हर्जाना अप्रार्थीगण को प्रार्थी से दिलाया जावे।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में मौजूद दस्तावेज जमाबंदी सम्वत 2069–72 चक 33 एन पी के खाता सं. 59/63 के मु.न. 36 प.न. 196/332 के 3.7950है0 व मु.न. 39 प.न. 193/332 के 2.7840है0 एवं मु.न. 48 प.न. 193/333 के 0.7590 है0 भूमि नहरी/बारानी भूमि मांगीलाल वगैरा संयुक्त खाते में खातेदार दर्ज है। इसी खाते के कॉलम नं. 11 ता 13 में अन्य खातेदार इन्द्रकुमार ,दीनदयाल,पि.हरीकिशन, प्रवीणकुमार पुत्र शंकरलाल के नाम से मु.न. 36 के कि.न. अलग–अलग खुले हुये है। इस प्रकार से शेष भूमि इसी खाते के मु.न. 39 के कि.न. 24/2 के 0.076है0 नहरी भूमि प्रार्थी मांगीलाल के नाम से है।

इसी चक की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता नं. 23/21 के मु.न. 39 प.न. 193/332 के 3.4160है0 नहरी , व मु.न. 42 प.न. 1890/332 के 2.6180है0 नहरी

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

कुल 6.0340है0नहरी मय खाला चन्दोदवी पत्नि जस्सुराम, खेमाराम ,नत्थूराम, रामकुमार पि. जस्सुराम कोम विश्नोई सा. देह हर चार बहिब खातेदार दर्ज है। चन्दोदेवी का हिस्सा एस.बी.आई. शाखा रायसिहंनगर मुर्तहीन रिकॉर्ड दर्ज है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ बैयनामा दिनांक 19.12.96 व प्यारासिहं बहक मांगीलाल , बैयनामा दिनांक 20.4.82 रामलाल बहक प्यारासिहं की चित्रप्रति भी प्रस्तुत की है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण दोनो स्वीकार करते है कि वे एक ही परिवार सदस्य है। विवादित भूमि संयुक्त परिवार की थी। जो पैतृक सम्पति थी या नहीं इस बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है तथा विवादित भूमि का मु.न. 39 नया 40 पुराना बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। विवादित भूमि का पूर्व घरू बंटवारा हुआ है या नहीं इस बाबत कोई साक्ष्य प्रार्थना पत्र में नहीं है। प्रार्थी के द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर खातेदार का अनुतोष प्रार्थना पत्र में चाहा गया। विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है या नहीं इस बाबत कोई साक्ष्य प्रार्थना पत्र में नहीं है। इन सब बिन्दूओं का निस्तारण मूल वाद में दोनों पक्षों के साक्ष्य लिये जाकर मेरिट के आधार पर तय किया जाना है। फिलहाल स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना है। विवादित भूमि से प्रार्थी को बेदखल किया जाता है तो इससे अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण को न होकर प्रार्थी को होगी। चूंकि भूमि का पैतृक होना प्रतीत होता हैं, ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में हैं। ऐसी स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जाती हैं तो अपूर्णीय क्षति अप्रार्थी को न होकर प्रार्थी को होने की संभावना हैं। अतः सुविधा का सन्तलुन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा दिनांक 07.06.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद निर्णय तक कन्फर्म किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मुहम्मद जुनैद पीपी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner